



बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbcl.bih.nic.in

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbcl.bih.nic.in

Build Green, Live Green!
CIN: U45200BR2008SGC013513

पत्रांक: -बी0एस0बी0सी0सी0एल0-105/2018-गुण नियंत्रण 3735 दिनांक: 24/12/2019

कार्यालय आदेश 32/2019

National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) के माध्यम से एक वर्षीय प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षुओं का चयन किये जाने के लिए दिनांक-05.12.2019 को आयोजित साक्षात्कार में चयनित अभ्यर्थियों की विवरणी निम्नवत है:-

S. No.	Post	Category of Post	Selected candidates Name	Remarks
1	Draughtsman (Civil)	Gen -01		Not Selected
2		Gen Female-01		Not Selected
3		EBC-01		Not Selected
4		SC-01		Not Selected
5	Office Assistant	Gen-01		Not Selected
6		EBC-01	Dheeraj Kumar	Selected
7	Electrician	Gen-01	Ravish Kumar	Selected
8	Information Technology	Gen-01	Govinda Kumar	Selected
9	Accountant	Gen-01		Not Selected
10		EBC-01	Rajan Kumar Mandal	Selected
11	HR Assistant	Gen-01	Qaiser Farhan	Selected
12		EBC-01		Not Selected
13	Concrete Lab Assistant	Gen-01		Not Selected

(i) अप्रेन्टिशीप की अवधि संबंधित कार्यालय में योगदान की तिथि के प्रभाव से अधिकतम 01 वर्ष के लिए होगी।

(ii) अप्रेन्टिशीप अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को Stipend की राशि उनके योगदान की तिथि से ₹ 5,000/- (पाँच हजार रुपये) प्रतिमाह देय होगा। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की राशि देय नहीं होगी।

(iii) अप्रेन्टिशीप अभ्यर्थियों को अप्रेन्टिशीप अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का हानि एवं दुर्घटना होने की स्थिति में निगम जिम्मेवार नहीं होगी।

(iv) अप्रेन्टिशीप अभ्यर्थियों को योगदान करने हेतु किसी भी प्रकार का T.A/D.A का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(v) अप्रेन्टिशीप अभ्यर्थियों को निगम के नियमित कर्मियों की भाँति अन्य कोई भी सुविधा/भत्ता देय नहीं होगी।

(vi) अप्रेन्टिशीप अभ्यर्थियों को आकस्मिक अवकाश एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश के अलावा अन्य कोई भी अवकाश देय नहीं होगा।

(vii) अप्रेन्टिशीप अभ्यर्थियों के ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप/अनियमितता/दुर्व्यवहार की स्थिति में उनका Apprenticeship Contract समाप्त करने हेतु निगम का निर्णय अंतिम होगा।

(viii) उक्त चयनित अभ्यर्थी पत्र निर्गत की तिथि से 05 दिनों के अन्दर निगम मुख्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनके अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

21/1/19

मुख्य महाप्रबंधक
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना।